

अध्याय – V

मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड तथा मैसर्स रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व में हिस्सेदारी

5.1 मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) तथा रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आर टी एल) की संक्षिप्त रूपरेखा

रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपरस प्राइवेट लिमिटेड 15 जुलाई, 2004 को एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित हुई थी। जुलाई-अगस्त, 2005 के दौरान कंपनी ने अपना नाम बदल कर रिलाइंस कम्यूनिकेशन वेंचरस लिमिटेड (आर सीओवीएल) किया एवं यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गयी। मार्च 2006 में, रिलाइंस कम्यूनिकेशन वेंचरस लिमिटेड का रिलाइंस इंफोकॉम लिमिटेड में विलय हो गया जिसने 1997 में ही मूल रूप से दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त कर लिया था तथा इसने अपना नाम बदल कर रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) कर लिया। (जून, 2006)

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड 1 मार्च, 1994 को निगमित हुई थी।

5.1.1 आरसीएल तथा आरटीएल को दिये गये लाइसेंस

आरआईसी ने सितम्बर, 1997 में गुजरात में आधारभूत सेवाओं (बेसिक लाइसेंस) के लिए अपना पहला लाइसेंस प्राप्त किया तथा अन्य अटठारह¹ लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लिए आधारभूत लाइसेंस (बेसिक लाइसेंस) जुलाई, 2001 में प्राप्त किए। नवम्बर, 2003 में ये आधारभूत लाइसेंस यूएसएएल में परिवर्तित हो गए। इस कंपनी ने जम्मू और कश्मीर के लिए यूएसएएल लाइसेंस सितंबर, 2004 में प्राप्त किया। इस प्रकार, सितंबर, 2004 तक आरसीएल (पूर्व में आरआईसी) के पास असम एवं उत्तर-पूर्व को छोड़कर बाकी सभी एलएसए में यूएसएएल लाइसेंस थे। जनवरी-फरवरी, 2002 में इस कंपनी ने एनएलडी तथा आइएलडी लाइसेंस भी प्राप्त किए।

रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने दिसम्बर, 1995 (अक्टूबर, 2007 में यूएसएएल में परिवर्तित) में सात² एलएसए में मूल सीएमटीएस लाइसेंस प्राप्त किए तथा सितम्बर, 2001 (अप्रैल, 2009 में यूएसएएल में परिवर्तित) में कोलकाता में एक और सीएमटीएस लाइसेंस अर्जित किया। इस प्रकार, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) तथा रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) दोनों के पास एक साथ छह एलएसए बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोलकाता, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सीएमटीएस व यूएसएएल लाइसेंस स्वामित्व में थे।

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) की दोनों सहायक कंपनियों रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) और रिलाइंस वाईमैक्स लिमिटेड के पास आईएसपी लाइसेंस पर अधिकार था तथा इसकी अन्य सहायक कंपनी रिलाइंस इंफ्राटेल लिमिटेड (पूर्व में 2006-2007 में रिलाइंस टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरटीआईएल) आईपी-1 सेवाओं के लिए पंजीकृत थी।

1 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ. प्र. (पूर्व) उ. प्र. (पश्चिम), पश्चिम बंगाल

2 असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्व, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

5.1.2 आरसीएल/आरटीएल को आबंटित स्पेक्ट्रम

प्रारम्भ में, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) सीडीएमए प्रचालक (ऑपरेटर) थी, जबकि रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) जीएसएम प्रचालक (ऑपरेटर) थी। 2008 में, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) ने जीएसएम स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। अतः ये दोनों कम्पनियों दोहरी तकनीक³ पर सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) को एलएसए के अनुसार आबंटित स्पेक्ट्रम की 31 मार्च, 2010 की स्थिति इस प्रकार थी:—

तालिका 5.1

रिलाइंस टेलीकम लिमिटेड			
क्रम.स.	तकनीकी	स्पैक्ट्रम	लइसेंसी का सेवा क्षेत्र
1	जीएसएम	2 x 4.4 मेगाहार्टज	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाण, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुम्बई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
2	सीडीएमए	2 x 5 मेगाहार्टज	आंध्रा प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, कोलकात्ता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
3	सीडीएमए	2 x 3.75 मेगाहार्टज	गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल
4	सीडीएमए	2 x 2.5 मेगाहार्टज	हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर
रिलाइंस टेलीकम लिमिटेड			
1	जीएसएम	2 x 8 मेगाहार्टज	बिहार
2	जीएसएम	2 x 6.2 मेगाहार्टज	हिमाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोलकात्ता, उत्तर पूर्व, पश्चिम बंगाल
3	सीडीएमए	2x2.5 मेगाहार्टज	आसाम, उत्तर पूर्व

5.1.3 आरसीएल/आरटीएल का उपभोक्ता आधार

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड बेतार (वायरलेस) तथा तार (वायरलाइन) दोनों सेवाएँ प्रदान करता है, जबकि रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) केवल बेतार सेवाएँ प्रदान करता है। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के बेतार उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2007 में 2.80 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2010 में 10.24 करोड़ तक पहुंच गई तथा इस अवधि के दौरान

3 यद्यपि रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, किन्तु इस कम्पनी ने सीडीएमए स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सेवाएँ प्रदान नहीं की।

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के तार (वायरलाईन) उपभोक्ताओं की संख्या 0.06 करोड़ से बढ़कर 0.12 करोड़ तक पहुंच गई। मार्च, 2007 में रिलाइंस समूह की बाजार में हिस्सेदारी 14% थी, जो मार्च, 2010 तक बढ़कर 17% तक पहुंच गई।

5.1.4 आरसीएल/आरटीएल द्वारा बताया गया सकल राजस्व(जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) एवं भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी

जैसा कि पैरा 1.5 में उल्लेख किया गया है, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक तिमाही में स्वयं मूल्यांकन के आधार पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत पर लाइसेंस शुल्क एवं एसयूसी का भुगतान करना होता है। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के सकल राजस्व, कटौतियों एवं समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2

रु. करोड़ में

वर्ष	जीआर	कटौतिया	एजीआर	जीआर से एजीआर का प्रतिशत	राजस्व हिस्सेदारी (एलएफ + एसयूसी)
2006-07	14264	4229	10035	70.35	1043
2007-08	16997	5158	11839	69.65	1229
2008-09	17507	5557	11950	68.26	1249
2009-10	17392	6000	11392	65.50	1163
कुल	66160	20944	45216	68.34	4684

5.1.5 आरसीएल एवं इसकी सहायक कंपनी आरसीआईएल के बीच मूल्य सवर्द्धित सेवाओं, विक्रय/विपणन और बिलिंग की व्यवस्था

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) तथा इसकी सहायक कंपनी रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) ने अपना व्यापार करने के लिए मूल्य सवर्द्धित सेवाओं (वी ए एस) तथा विक्रय/विपणन अनुबंध में प्रविष्टि की जिसका विवरण निम्नलिखित है।

i) मूल्य सवर्द्धित सेवा (वी ए एस) अनुबंध

रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (आरसीआईएल) एक सहायक कंपनी है, जिसके पास 'ए' श्रेणी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस है एवं यह कंपनी आर कनेक्ट, आर वर्ल्ड, रिलाइंस वर्ल्ड, 1234, 2345 और एसएमएस कंटेंट सेवाये (सर्विसिज) जैसे ब्रांड नाम से इंटरनेट, विविध एप्लीकेशन, कंटेंट एवं अन्य संबद्ध सेवाए प्रदान कर रही है। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)(यूएस लाइसेंस धारी) और रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) ने अप्रैल, 2006 में तीन वर्ष के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तथा बाद में इसे मार्च, 2012 तक बढ़ा दिया गया।

इस अनुबंध के अनुसार, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) को उपरोक्त सभी सेवाएँ रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के ग्राहकों को उपलब्ध करानी थी तथा रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) इन सेवाओं को सुगम बनाने के लिए आवश्यक एसेस सेवाएँ प्रदान करेगा।

‘आर कनेक्ट’ एक इंटरनेट सेवा है तथा यह सेवा डाइल-अप के माध्यम से रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। अनुबंध के अनुसार, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) और रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) को ‘आर कनेक्ट’ सेवाओं के लिए राजस्व में भागीदारी करनी थी।

‘आर वर्ल्ड’ मोबाइल टीवी, विडियो, गेम्स, क्रिकेट अपडेट, म्यूजिक एवं रिंग टोन इत्यादि एप्लीकेशन और कंटेंट को एक ही जगह (वन स्टॉप शाप) पर उपलब्ध कराता है। अनुबंध के अनुसार, एप्लीकेशन और कंटेंट सेवाओं (एसएमएस अथवा एमएमएस पर आधारित एप्लीकेशन और कंटेंट सेवाएं सहित) के लिए रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) एवं रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) के बीच राजस्व में भागीदारी होनी थी।

ii) विक्रय एवं विपणन अनुबंध

अक्टूबर, 2004 में रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) ने रिलाइंस इंफोकॉम लिमिटेड (बाद में रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड) के साथ विक्रय और विपणन अनुबंध भी किया तथा यह अनुबंध सितम्बर 2007 तक वैध रहा। इसके उपरान्त अक्टूबर, 2007 में दोनों कम्पनियों ने (आरसीआईएल व आरसीएल के मध्य) इस अनुबंध का तीन वर्षों की अवधि के लिए फिर से नवीकरण किया।

अनुबंध की धारा I में ‘व्यापार’ (बिजनेस) शब्द को परिभाषित किया गया है। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा पेश की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं से सम्बन्धित विविध टैरिफ प्लान व सेवाएँ जिनमें फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल/फिक्स्ड वायरलैस फोन इत्यादि एवं समय-समय पर रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सेवाएँ शामिल हैं से आर सी एल के विपणन का मतलब है।

खण्ड 2.3 में उल्लेख है कि रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) सेवाओं का विपणन करते समय, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) की टैरिफ योजनाओं को अन्य उत्पादों अथवा सेवाओं (जो उपयुक्त हो) के साथ मिलाने जैसा इसे ठीक बैठे एवं ग्राहकों को समिश्रित योजनाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगी।

खण्ड 2.4 में उल्लेख है कि यदि आवश्यक हो, तो रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) योजनाओं और सेवाओं में संवर्द्धन के लिए वितरकों, खुदरा व्यापारियों अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध कर सकता है।

खण्ड 2.8 के अनुसार, बताए गए अनुबंध में रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में शामिल नहीं है तथा किसी भी स्थिति में वह रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की सेवाओं का पुनः विक्रय नहीं करेगा।

खण्ड 3.9 के अंतर्गत, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआइएल) रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) की तरफ से बिल बनायेगा एवं आरसीएल के ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआइएल) समय-समय पर रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के निदेशानुसार आवश्यक अवसंरचना तथा सभी बिलिंग एवं अन्य साफ्टवेयर की स्थापना व अधिप्राप्ति करेगा एवं उपलब्ध करायेगा।

विपणन, बिलिंग एवं वसूली के लिये शुल्क का अनुबंध के खण्ड 7.1 और खण्ड 7.2 में विस्तृत वर्णन है। इस प्रकार यद्यपि इस व्यवस्था से आर सी एल ने निर्धारित न किये जाने वाला पर्याप्त राजस्व का भाग प्रभावी तरीके से दूसरे मार्ग द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को पहुँचा दिया जिससे इस दूसरे मार्ग से भेजे गये राजस्व पर एलएफ व एसयूसी के भुगतान से बच सका।

5.2 रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खातों की किताबों में सकल राजस्व को कम बताना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में उल्लेख है, सकल राजस्व में यहाँ बतायी सभी राजस्व व्यय से संबंधित मद से कुछ भी छोड़े (सेट-आफ) बिना शामिल होंगे तथा जैसा कि पैरा 1.5 बताया गया है कि सेवा राजस्व (बिल के योग्य धनराशि) सकल रूप में दिखाया जाएगा एवं छूट/रिवेट के विवरण को अलग से दर्शाया जाएगा।

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) एवं इनसे सम्बन्धित सहायक कम्पनियों के अभिलेखों/लेखों की किताबों की लेखापरीक्षा से जानकारी मिली कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया इसका विवरण आगामी पैराग्राफों में है।

5.2.1 आरसीएल/आरटीएल द्वारा प्रीपेड सेवाओं के राजस्व को फ्री एयर टाइम/कमीशन को छोड़कर दर्ज किया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये आरसीएल/आरटीएल के अभिलेखों/खातों की किताबों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि :

- ग्राहकों को प्रदान किये गए फ्री एयर टाइम (फ्रेट) को वित्तीय प्रणाली में बिल्कुल भी लेखित नहीं किया गया
- हिसाब में लिया गया राजस्व वितरकों/अभिकर्ताओं को दिए गए कमीशन से घटाकर नेट दिखाया गया था जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया कि

- टैरिफ का अर्थ रेंटल, जमा, स्थापना शुल्क, मुफ्त काल यूसेज प्रभार तथा अन्य संबंधित शुल्क अथवा सेवा प्रभार के संबंध में संबंधित दरो व शर्तों से है। यह दर्शाता है कि जब किसी टैरिफ की शुरुआत की जाती है, तब यह आवश्यक होता है कि टैरिफ में मुफ्त मिनटों का विवरण शामिल हो। चूंकि मुफ्त मिनटों से प्रभार वसूला नहीं जाता है और इसको बिल में भी शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इन मुफ्त मिनटों को राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। कम्पनी को इन फ्री मिनटों से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। अतः किसी प्रकार के राजस्व/व्यापार संवर्धन व्यय का प्रश्न नहीं उठता है।

- फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम डिस्काउंट एवं रिबेट की प्रकृति के नहीं था। अतः इनको लेखा में दर्शाने अथवा बताने की आवश्यकता नहीं थी। यह सेवा ग्राहकों के लिए मुफ्त है तथा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम से राजस्व प्राप्त नहीं होता है। अतः इसको रिबेट/डिस्काउंट की तरह नहीं माना जा सकता है।
- चूकि (फ्री) मिनट ग्राहको को मुफ्त में दी जाती है, अतः इन्हे चार्ज के लिये बिलिंग साइकल से निकाल दिया गया था।
- फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम के मूल्य पर विचार करना उचित नहीं था। टीडीएसएटी ने भी दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अपने निर्णय सुस्पष्ट किया कि अंतर्वाह (इनफ्लो) वास्तविक होना चाहिए एवं आय अनुमानित नहीं होनी चाहिए।
- इस मामले में कम्पनी का वास्तविक अंतर्वाह (इनफ्लो) एवं कम्पनी को कोई मूल्य अर्जित नहीं हुआ था। अतः ग्राहको के बिल में मुफ्त मिनटों को शामिल न करना न्यायोचित था।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को कम्पनी द्वारा सौंपे गए टैरिफ प्लान से अधिक या ज्यादा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम व्यापार प्रचार गतिविधि था इन प्रस्तावों की कीमत खर्चा के बराबर होगी। आगे यूएसएल अनुबंध के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए, सेवा राजस्व को बिना कुछ छोड़े (सेट-आफ) सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिए। यह खातों की किताबों में अलग से शामिल होना चाहिए तथा इसको 'मीडिएशन लेवल'⁴ पर निकाला नहीं जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई, 2015 में दूरसंचार विभाग (डाट) ने प्रबंधन द्वारा उनके उत्तर में संदर्भित टीडीएसएटी निर्णय दिनांक 23 जुलाई, 2015 को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। लेखा परीक्षा का तर्क था कि मीडिएशन लेवल पर फ्री टाक टाइम का अपने आप निकाला जाना एवं खातों की किताबों में इनको न दिखाना लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था।
- इसी प्रकार वितरकों/अभिकर्ताओं को दिए गए कमीशन को छोड़ देना (नेटिंग ऑफ) भी अनुबंध का उल्लंघन था।

यद्यपि दूरसंचार विभाग (डाट) को वार्षिक रिपोर्ट के नोट्स/अनुसूचियों के माध्यम से आरसीएल/आरटीएल के लेखाकरण की जानकारी थी, फिर भी दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III में अधिदेशित नियमों के अनुसार, कम्पनी को सकल राजस्व की प्रस्तुति के लिए राजी करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4 मीडिएशन डिवाइस दूरसंचार नेटवर्क का हिस्सा होती है। जो कि डिवाइस प्रोसेस प्राप्त करता है, रिफॉर्मेट करता है एवं अन्य नेटवर्क इलेमेंट के बीच अन्य फॉरमेट में सूचनाएं भेजता है। सामान्यतः इसका प्रयोग बिलिंग एवं कस्टमर केयर सिस्टम में किया जाता है।

5.2.2 आरसीएल द्वारा राजस्व, इसकी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) को प्रदत्त कमीशन को घटाने के बाद बुक किया तथा आरसीएल के लेखा के स्थान पर इसकी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) के खातों की किताबों में राजस्व को दर्ज किया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) जिसने 'ए' श्रेणी का आईएसपी लाइसेंस प्राप्त किया। जैसा कि पैरा 5.1.5 में निहित है आरसीएल व आरसीआईएल ने आर सी एल के उपभोक्ताओं को मूल्य संवर्द्धित सेवाएँ (वैस) प्रदान कराने एवं आरसीआईएल द्वारा आरसीएल के उत्पादों की बिक्री/विपणन के लिए अनुबंध किया। इस अनुबंध के परिणामस्वरूप, मूल्य संवर्द्धित सेवाओं के प्राप्त राजस्व आरसीआईएल के बही खातों में दर्ज हो रहा था एवं कुल राजस्व का कुछ भाग ही आरसीएल तक पहुँच रहा था। इस व्यवस्था से, आरसीएल ने अपने ग्राहकों से मूल्य संवर्द्धित सेवाओं से अर्जित सकल राजस्व पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करके आरसीआईएल द्वारा भेजे गये राजस्व के हिस्से पर ही केवल लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया। जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था।

सीडीएमए तकनीक पर कार्यरत हैंडसेटों की बिक्री से अर्जित राजस्व भी दूरसंचार सेवा से अलग नहीं कहा जा सकता है, आवश्यक दूरसंचार सेवाएँ जैसे ग्राहकों से प्राप्त सबसक्राइबर आईडेन्टिटी माडूल (सिम) कार्ड व अभिदाता से प्राप्त इंस्टालेशन प्रभार को आरसीआईएल के खातों की किताबों में बुक किया गया, आरसीएल की सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) के साथ इस व्यवस्था के कारण सकल राजस्व ₹ 5594.63 करोड़ कम आंका गया है। आरसीएल के खातों में बुक न करके आरसीआईएल के खातों में बुक की गई आय का प्रभाजन यूएस लाइसेंसधारियों के बीच सकल राजस्व के प्रतिशत के आधार पर किया गया। यह प्रभाजन संबंधित सेवा क्षेत्रों पर लागू दरों के आधार पर लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का भुगतान कम अथवा न होने के प्रभाव (इम्पैक्ट) की गणना करने के लिए किया गया है। लेखापरीक्षा ने विचारा कि यह राजस्व हिस्सेदारी को कम बताने को निर्धारित करने की यह अति योग्य व अनुदारवादी विधि होगी। विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया जा रहा है :-

(ए) आरसीएल ने अपनी सेवाओं के विक्रय एवं विपणन के लिए आरसीआईएल को भुगतान किए गए कमीशन/छूट को जीआर/एजीआर की गणना करने के लिए राजस्व से हटाया (नेटेटेड आफ)

आरसीएल तथा आरसीआईएल के बीच विपणन अनुबंध के अनुसार, आरसीआईएल अभिकर्ता था व आरसीएल के उत्पादों की बिक्री करने के लिए अधिकृत था। अनुबंध के अनुसार, आरसीएल समय-समय पर आपसी सहमति के अनुरूप निर्धारित दरों पर प्रीपेड वाउचर आरसीआईएल को बेचेगा तथा आरसीआईएल इनको नेट मूल्य पर उन्हें अपने वितरकों को बेचेगा।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये आरसीआईएल के खातों की किताबों से पाया गया कि आरसीआईएल ने आरसीएल से उसके उत्पाद बेचने के लिए ₹ 1170.51 करोड़ की राशि छुट अथवा कमीशन के रूप में प्राप्त की एवं इस राशि को बिलिंग आय में दर्शाया गया था। जो आरसीआईएल को

वितरकों के कमीशन के भुगतान के बदले में दिया गया था। तथापि आरसीएल ने प्रीपेड कार्डों की बिक्री पर आरसीआईएल को भुगतान किए गए कमीशन/छूट को छोड़ दिया तथा निवल उगाही मूल्य को ही राजस्व के रूप में शामिल किया जिसे समायोजित सकल राजस्व के लिए विचारित किया गया था।

आरसीएल ने प्रीपेड उत्पादों (सिम कार्ड/रिचार्ज वाउचर) की बिक्री के लिए वितरकों/एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन/छूट की कीमत को व्यापार व्यय के रूप में माना था तथा प्रीपेड कार्डों के सकल मूल्य अर्थात् ऑपरिटर (आरसीएल) द्वारा प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं के मूल्य को बिना घटाये (सेट आफ) राजस्व में शामिल होने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने यह उत्तर दिया था कि:

- यह व्यवस्था प्रिंसीपल टू प्रिंसीपल सिद्धांत पर थी। बिल अनुबंधित मूल्य पर वितरकों को जारी किए जाते थे तथा इसी को राजस्व माना जाता है।
- समायोजित सकल राजस्व में प्रीपेड वाउचरों पर छूट के रूप में अनुमानित आय का समावेशन तर्कसंगत नहीं है। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) में केवल उगाही मूल्य पर ही विचार होना है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि

- विपणन अनुबंध के अन्तर्गत आरसीआईएल आरसीएल का अभिकर्ता है तथा अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि आरसीआईएल को दूरसंचार सेवा प्रदाता नहीं माना जाएगा एवं किसी भी परिस्थिति में आरसीआईएल आरसीएल की सेवाओं का पुनर्विक्रेता नहीं होगा। आरसीआईएल और आरसीएल के बीच का लेन-देन कम्पनी की तरफ से वितरक की भूमिका वाला होगा। जैसा कि पैरा 3.2.1 (ए) प्रावधानों के स्पष्टीकरण के अनुसार इनके बीच सम्बन्ध 'प्रिंसीपल टू एजेंट' सिद्धांत पर आधारित अर्थ में होगा।
- प्रीपेड वाउचर पर छूट का भुगतान वैचारिक आय नहीं था जैसा कि प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया था। भुगतान की गई छूट विपणन व्यय था।

मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है लेखापरीक्षा की सोच है कि आर सी आई एल के प्रीपेड कार्ड की बिक्री पर भुगतान किया गया कमीशन/छूट यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के विरुद्ध था। अतः वर्ष 2006-07 व 2009-10 के लिये आरसीएल की जीआर/एजीआर ₹ 1170.51 करोड़ कम बतायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 106.88 करोड़ एवं ₹ 30.88 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 5.01)

(बी) आरसीएल के जीआर/एजीआर में आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सेवा के राजस्व को सकल मूल्य वावत् विचार नहीं करना।

जैसा पैरा 1.4(ए) में उल्लेख है कि सकल राजस्व में मूल्य संवर्द्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व एवं उसमें शामिल यहाँ बताये अन्य राजस्व संबंधित व्यय की मदों के लिए छोड़ी गई (सेट आफ) राशि के बिना शामिल होंगे।

आरसीएल यूनिवर्सल एसेस सर्विस लाइसेंस (यूएसएल) के अन्तर्गत दूरसंचार सेवाए प्रदान करता है। आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली आईएसपी लाइसेंसधारी कम्पनी आरसीआईएल इंटरनेट, विविध कंटेंट, एवं अन्य सहायक सेवाये 'आर कनेक्ट', 'आर वर्ल्ड', 'रिलाइंस वर्ल्ड', '1234', '2345' के ब्रांड नाम से और 'एसएमएस कंटेंट सर्विसिज' प्रदान करती थी। पैरा 5.1.5 में उल्लेख है कि आरसीएल एवं आरसीआईएल ने आरसीएल ग्राहकों को मूल्य सवर्द्धित सेवाए (वैस) उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किया।

आरसीआईएल और आरसीएल के खातों की किताबों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया था कि रु 1273.45 की धनराशि वाली मूल्य सवर्द्धित सेवाओं (आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सर्विसिज) के कारण आरसीएल के ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को आरसीआईएल के खातों में बुक किया गया तथा आरसीएल को केवल एक हिस्सा अर्थात् रु 265.58 करोड़ मात्र दिया गया था। अतः मात्र रु 265.58 करोड़ की धनराशि को राजस्व हिस्सेदारी के लिए आरसीएल के सकल राजस्व/समायोजित सकल राजस्व में विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया कि वैस (आर वर्ल्ड और कंटेंट एसएमएस) प्रदाता न तो विनियमित है और न ही उन्हे लाइसेंस प्राप्त है। वे मुख्यतः मोबाइल नेटवर्क में माध्यम सहभागी (चैनल पार्टनर) की भूमिका निभाते हैं। आरसीआईएल ने आरसीएल को सुसंगत एक्सेस चार्ज का भुगतान किया है एवं इस पर आरसीएल ने पहले ही लाइसेंस फीस का भुगतान किया है। अतः अतिरिक्त लाइसेंस फीस का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सर्विसेज मूल्यवर्धित सेवाओं के विविध वन्डल है जो कि एसएमएस, आवाज (वाइस) इत्यादि से अलग है जब कंटेंट इंटरनेट के माध्यम से न भेजकर एसएमएस, आवाज (वाइस) इत्यादि के माध्यम से भेजा जाता है, तो उस समय यह सेवा आरसीआईएल के आईएसपी लाइसेंस के दायरे में नहीं आती है। ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवा केवल यूएस/सीएमटीएस लाइसेंस द्वारा प्रदान की जा सकती है। अतः मूल्य सवर्द्धित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्त सकल राजस्व आरसीएल के लेखा में बुक होना चाहिए तथा राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए। मूल्य सवर्द्धित सेवा (वैस) कंटेंट सेवा प्रदाता होने के कारण, आरसीआईएल को देय कोई धनराशि आरसीएल के लेखा में व्यय प्रभारित (चार्ज) होनी चाहिए।

अतः आरसीएल द्वारा ₹ 1007.87 करोड़ (₹ 1273.45 – ₹ 265.58) के राजस्व को जीआर/एजीआर में शामिल करना चाहिए था।

इससे लाइसेंस फीस व एस यू सी का क्रमशः रु 91.99 करोड़ एवं रु 26.76 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.02)

(सी) आरसीएल द्वारा जीआर/ एजीआर की गणना के लिए कालर रिंग बैंक टोन से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना

कालर रिंग बैंक टोन (सीआरबीटी) एक प्रकार की मूल्य सवर्द्धित सेवा (वैस) है जिसे आरसीएल ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की थी तथा इस सेवा की जानकारी भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (मई 2006) में दी गई। जैसाकि उपरोक्त पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है कि मूल्य सवर्द्धित सेवाओं (वैस) से प्राप्त राजस्व जीआर/एजीआर में शामिल होना चाहिए।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल और आरसीआईएल के खातों की किताबों की संवीक्षा/छानबीन में यह पाया गया कि सीआरबीटी से सम्बन्धित रु 540.84 करोड़ के राजस्व को आरसीआईएल के खातों की किताबों में बुक किया गया था। सीआरबीटी के राजस्व को आरसीएल के खातों की किताबों में बुक नहीं किया गया। इस प्रकार आरसीएल के खातों में रु 540.84 करोड़ लेखांकन नही करने के कारण जीआर/एजीआर को कम बताया गया।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि आरसीएल ने अपने ग्राहकों के लिए मई, 2006 में सीआरबीटी सेवा की शुरुआत एक महीने के लिए प्रचार के आधार पर की थी। जब इस सेवा की शुरुआत वाणिज्यक आधार पर हुई, उस समय आरसीआईएल यह मूल्यवर्धित सेवा/कंटेट सर्विसिज (आर वाल्ड सेवाएँ) के अन्तर्गत प्रदान कराता था। आरसी आईएल एक अलग विधिक इकाई के रूप में स्वचलित आधार पर कंटेट सेवाएँ प्रदान कर रहा था। कंटेट सर्विसिज उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस की आवश्यकता नही है।

प्रत्युत्तर मान्य नही है क्योंकि सी आर बी टी एक मूल्यवर्धित सेवा है जिसे एस एम एस व आवाज आदि पर प्रदान किया जाता है एवं लेखा परीक्षा का विचार है कि यह केवल यू ए एस एल/सी एम टी एस लाइसेंस द्वारा प्रदान की जा सकती है इस प्रकार सी आर बी टी (वैस) से प्राप्त राजस्व, राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये सकल राजस्व में शामिल होना चाहिए।

अतः आरसीएल को सीआरबीटी से प्राप्त ₹ 540.84 करोड़ के राजस्व को सकल राजस्व (जीआर)/समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) में शामिल करना चाहिए था। इससे लाइसेंस फीस व एसयूसी का क्रमशः ₹ 49.34 करोड़ व ₹ 14.40 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा है। **(अनुलग्नक 5.03)**

(डी) आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये सिम कार्ड की बिक्री से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना

जैसा कि पैरा 5.1.5 में पहले कहा गया है, आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी आर सी आई एल जिसके पास श्रेणी 'ए' आईएसपी लाइसेंस था, उसने (आरसीआईएल) अपने उत्पादों के विक्रय/विपणन के लिए आरसीएल के साथ अनुबंध किया।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल व आरसीआईएल के लेखा की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सब्सक्राइबर आडेन्टिटी मॉडयूल (सिम) की बिक्री से प्राप्त ₹ 103.17 करोड़ के राजस्व को आरसीआईएल के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लेखों में बुक किया गया था।

सिम कार्ड दूरसंचार सेवाओं का अभिन्न अंग है इसके अभाव में दूरसंचार सेवा शुरू नही की जा सकती है। यूएस लाइसेंसधारी द्वारा सिम कार्डों को सेवा प्रदान करने से अलग करके वस्तु के रूप में नही बेच सकता है। सिम कार्ड का स्वयं का सेवा के अभाव में शायद ही कोई कीमत होगी। इसके अतिरिक्त, आरसीआईएल एवं आरसीएल के बीच विक्रय एवं विपणन अनुबंध की शर्तों में भी आरसीआईएल दूरसंचार सेवा प्रदाता नही है तथा किसी भी परिस्थिति में आरसीआईएल, आरसीएल की सेवाओं का पुनः विक्रय नही करेगा।

आइडिया मोबाइल कंम्यूनिकेशन लिमिटेड बनाम आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, कोचीन की अपील पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04 अगस्त, 2011 को अपने निर्णय में कहा कि सेल्युलर कम्पनी

द्वारा ग्राहकों को सिम कार्ड की बिक्री से प्राप्त राशि सेवाकर की उगाही के लिए करयोग्य राशि में शामिल होगी क्योंकि सिम कार्ड कभी भी सेवाओं से अलग करके स्वतन्त्र वस्तु के रूप में नहीं बेचे जा सकते थे।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बेचे गए सिम कार्डों के मूल्य को आरसीएल जो कि दूरसंचार सेवा प्रदाता था की सहायक एवं आइएसपी लाइसेंसधारी कम्पनी आरसीआईएल के सकल राजस्व में शामिल न करके आरसीएल के सकल राजस्व में शामिल करना चाहिए।

इससे लाइसेंस फीस व एस यू सी का क्रमशः ₹ 9.40 करोड़ व ₹ 2.69 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा है। **(अनुलग्नक 5.04)**

इस सम्बन्ध में कम्पनी को जारी (मई 2015) लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रत्युत्तर प्रतिक्रिया (जनवरी 2016) था।

(इ) आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिए हैंडसेट्स की बिक्री से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में उल्लिखित है, सकल राजस्व में हैंडसेट्स (अथवा अन्य कोई टर्मिनल इक्यूपमेंट इत्यादि) की बिक्री से प्राप्त लाभ के साथ-साथ बताया गया अन्य राजस्व व्यय से संबंधित मदों को छोड़े बिना (सेट-आफ) शामिल होंगे।

जैसा कि पैरा 5.1.5 में कहा गया है, आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी आर सी आई एल जिसके पास श्रेणी 'ए' आइएसपी लाइसेंस था उसने (आरसीआईएल) अपने उत्पादों के विक्रय/विपणन के लिए आरसीएल के साथ अनुबंध किया था।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल व आरसीआईएल के लेखा की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सीडीएम हैंडसेट्स की बिक्री से प्राप्त ₹ 2523.95 करोड़ की धनराशि के राजस्व को आरसीआईएल के वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लेखा में बुक किया गया। हैंडसेट्स की बिक्री के कारण प्राप्त राजस्व को आरसीएल में बुक नहीं किया गया।

अप्रैल/जून, 2006 के दौरान ट्राई को सौंपी गई टैरिफ योजनाओं में यह देखा गया कि आरसीएल ने कुछ चुनिंदा हैंडसेट्स (सीडीएमए) मॉडल पर प्रीपेड ग्राहकों को बोनस टाकटाइम उपहारस्वरूप उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006, 2007 और 2009 के दौरान कम्पनी के आन्तरिक पत्राचार ने दर्शाया कि आरसीएल ने उपहारस्वरूप दी गई योजना के साथ हैंडसेट्स भी शामिल थे।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :-

- आरसीएल हैंडसेट्स विक्रय के व्यापार में नहीं था। आरसीआईएल द्वारा सभी बिक्रिया किसी ग्राहको के माध्यम से न होकर उनके वितरकों/डीलरो के माध्यम की गयी थी।
- आरसीआईएल द्वारा वितरक/डीलरो को फ्री मिनट नहीं दिये है। आरसीएल ने उपभोक्ताओ द्वारा सेवा शुरू करने पर प्रचार प्रस्ताव (प्रोमोशन आफर) के तौर पर प्रचार मिनटें (प्रोमेशनल मिनट्स) प्रदान किये है क्योंकि ये मिनटें मुफ्त होती है, अतः आरसीएल को इनसे कोई राजस्व उपार्जित नहीं होता है।
- हैंडसेटों की बिक्री हेतु किसी दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आरसीआईएल ने

आरसीएल के साथ हैंडसेटों के राजस्व में कोई हिस्सेदारी नहीं की है, इसलिए आरसीएल ने बंडलिंग (दूरसंचार सेवाओं को हैंडसेट के साथ उपलब्ध कराना) नहीं की थी।

- टीडीएसएटी के अगस्त, 2007 के निर्णय के अनुसार, 'दूरसंचार सेवाओं की बंडलिंग का अर्थ यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति कम्पनी से क्रय करता है, तो कम्पनी सेवाओं में रियायत देगी अथवा मासिक रेंटल (किराया) को कम करेगी'।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारी उन कार्यों को न करे, जिनके लिए दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे इन कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी को हस्तांतरित करेंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि :-

- यद्यपि आरसीआईएल आरसीएल की तरफ से हैंडसेट्स की बिक्री इनके बीच हुये आपसी अनुबंध के अनुसार करता है, फिर भी सीडीएमए तकनीक के अन्तर्गत सेवाएँ उपलब्ध करना स्वतंत्र गतिविधि नहीं थी, बल्कि यूएस लाइसेंस के अंतर्गत दूरसंचार गतिविधि का अभिन्न अंग (इन्टीग्रल पार्ट) थी। अतः आरसीआईएल व इसका धारण करने वाली (होल्डिंग) कम्पनी आर सी एल के बीच हुए विक्रय एवं विपणन अनुबंध का सहारा लेकर किए गए हैंडसेटों (सीडीएमए) के बिक्री को लाइसेंस रहित स्वतंत्र गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार हैंडसेट की बिक्री से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व, राजस्व के लिए विचारित होना चाहिए।
- आरसीएल ने ग्राहकों/वितरकों को विभिन्न रियायतें प्रदान की तथा सेवाओं को एकीकृत (बंडल) किया तथा विपणन अनुबंध के अनुसार आरसीआईएल आरसीएल की तरफ से केवल हैंडसेटों की बिक्री कर रहा है।
- लेखा परीक्षा यह नहीं कहता है कि हैंडसेट की बिक्री लाइसेंस गतिविधि थी किन्तु दावे के साथ कहा जा सकता है कि सी डी एम ए तकनीक में हैंडसेट की बिक्री व सेवा का प्रतिपादन हमेशा साथ रहने वाला (अभियोज्य) था।
- अक्टूबर 2011 में उच्चतम न्यायालय ने टीडीएसएटी के अगस्त, 2007 निर्णय को खारिज कर दिया।

अतः हैंडसेटों (सीडीएमए) की बिक्री से प्राप्त रु 2523.95 के राजस्व को आरसीएल के जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। इससे लाइसेंस फीस व एसयूसी का क्रमशः रु 231.64 करोड़ एवं ₹ 64.51 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। **(अनुलग्नक 5.05)**

(एफ) आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये अभिदाताओं के परिसर में फिकस्ड वायरलेस टेलिफोन/टर्मिनल (एफडब्ल्यूपी/टी) के स्थापना प्रभार से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में उल्लिखित है, सकल राजस्व में व्यय से संबंधित मदों को छोड़े बिना (सेट-आफ) यहाँ बताये अन्य राजस्व के साथ-साथ स्थापना प्रभार शामिल होगा।

2006-2007 से 2009-10 की अवधि के आरसीएल तथा आरसीआईएल के खातों की किताबों की संवीक्षा

में यह देखा गया कि अभिदाताओं के परिसर में एफडब्ल्यूपी/टी के स्थापना प्रभार के कारण रु 249.29 करोड़ की धनराशि के राजस्व को आरसीआईएल के लेखा में दर्ज किया गया।

एफडब्ल्यूपी/टी यन्त्र (इंस्ट्र्यूमेंट) आरसीएल द्वारा अपने ग्राहकों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिये अभिन्न (इन्टीग्रल) थे। आरसीएलयूएस लाइसेंस था इसलिये अभिदाताओं से प्राप्त इंस्ट्र्यूमेंट की कीमत स्थापना व अपफ्रन्ट प्रभार से प्राप्त संबंधित राजस्व ₹ 248.29 करोड़ आरसीएल के सकल राजस्व का भाग होना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :

- आरसीएल ने एफडब्ल्यूपी/टी स्थापना सेवाए प्रदान कराने के लिए आरसीआईएल के साथ अनुबंध किया था। आरसीआईएल अभिदाताओं की परिसर में यन्त्रों (इंस्ट्र्यूमेंट) को लगाने (इंस्टालेशन) की सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इस सेवा के लिए आरसीआईएल ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप में धनराशि प्राप्त करता है। यह आरसीआईएल द्वारा अपने जोखिम पर किया जाता था। इसलिए, इस गतिविधि से आने वाले राजस्व सही तरीके से आरसीआईएल से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति उदाहरणार्थ जिसके पास कोई टेलिकाम लाइसेंस नहीं है वह व्यक्ति भी इंस्टालेशन का कार्य कर सकता है। मई, 2010 में टीडीएसएटी ने अपना निर्णय दिया था कि स्थापना का कार्य करने वाले व्यक्ति को स्थापना प्रभार (चार्ज) वापिस दे दिया जाता है। अतः यह प्रभार एजीआर के दायरे में नहीं आयेगा।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारी को यह छूट थी कि वह उन कार्यों को न करे, जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है :-

- रिलाइंस इंफोकाम लिमिटेड (आरआईसी) द्वारा आरसीआईएल को लिखे गए पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से स्पष्ट है कि एफडब्ल्यूपी/टी आरआईसी (बाद में परिवर्तित होकर आरसीएल) की संपत्ति हैं तथा आरआईसी ने अभिदाताओं की परिसर में इनको लगाने (इंस्टाल) के लिए आरसीआईएल से अनुरोध किया था। यद्यपि आरसीआईएल एफडब्ल्यूपी/टी को लगाने (इंस्टालेशन) के कार्य की जिम्मेदारी उठा सकती है, किन्तु यह कार्य केवल एजेंसी की तरह का होगा एवं यूएसएल अनुबंध के शर्तों के अनुसार, टर्मिनल इक्विपमेंट को लगाने (इंस्टालेशन) के लिए ग्राहकों से प्राप्त सकल राजस्व यूएस लाइसेंसधारी (आरआईसी/आरसीएल) का राजस्व होना चाहिए तथा इंस्टालेशन एजेंसी (आरसीआईएल) को देय प्रभार लाइसेंसधारी का व्यय होना चाहिए। प्रबंधन के उत्तर में संदर्भित मई, 2010 का टीडीएसएटी निर्णय दूरसंचार प्रचालको (टेलिकाम ऑपरेटर) से संबंधित नहीं है, बल्कि यह डायरेक्ट टू होम (डीटीएच-टीवी प्रसारण से संबंधित) ऑपरेटर से संबंधित है।
- लेखा परीक्षा यह प्रश्न नहीं कर रहा है कि गतिविधि किसके द्वारा की गयी थी किन्तु दावे के साथ कहा जा सकता है कि एफडब्ल्यूपी/टी की स्थापना प्रभार से प्राप्त राजस्व लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी के लिये विचारित होना चाहिए।

अतः एफडब्ल्यूपी/टी के स्थापना (इंस्टालेशन) के कारण आरसीएल के खातों की किताबों में दर्ज

₹ 248.29 के सम्पूर्ण राजस्व को आरसीएल के जीआर/एजीआर में लिया जाना चाहिए। इससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 22.71 करोड़ तथा ₹ 6.50 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.06)

5.2.3 आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये राजस्व से कमीशन को घटाया (नेटिंग आफ) जाना

आरसीएल द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संवीक्षा पर, यह देखा गया कि ब्राडबैंड प्रीपेड वाउचरों पर भुगतान किया गए ₹ 1.11 करोड़ की राशि के कमीशन को राजस्व से घटा दिया (नेटिंग आफ) गया तथा निवल राजस्व को आरसीएल के लेखा में दर्ज किया गया।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि केवल यह प्रीपेड वाउचरों पर दी गई छूट (रियायत) है, जिसको जीआर से घटा दिया (नेटिंग आफ) गया तथा इस पर भारत सरकार (जीओआई) को देय लाइसेंस फीस का उत्तरदायित्व नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व से प्राप्त कमीशन को छोड़ देना (नेटिंग आफ) लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं था। इससे लाइसेंस फीस व एसयूसी का क्रमशः ₹ 0.09 करोड़ व ₹ 0.03 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.07)

5.2.4 आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये चैनल पार्टनर (सहभागी)/ फ्रेंचाइजी से अर्जित राजस्व को व्यय से घटाया (नेटिंग आफ) जाना।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल के खातों की किताबों की संवीक्षा करने पर यह देखा गया कि चैनल पार्टनर (सहभागी)/फ्रेंचाइजी को ब्राडबैंड से जोड़ने (कनेक्टिविटी) के प्रावधान से राशि ₹ 4.50 करोड़ की आय को व्यय शीर्षों में जोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर में राजस्व पर विचार नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि समायोजन (एडजस्टमेंट्स) में एक लागत की प्रतिपूर्ति अर्थात् दूसरी लागत से एक्सेस की लागत अर्थात् कम्पनी द्वारा देय कमीशन को घटाना (सेटिंग आफ) शामिल होता है। यह ऐसा मामला नहीं है, जहाँ राजस्व की मद एवं लागत की मद को छोड़ दिया (नेटिंग आफ) जाता है ताकि राजस्व को कम दर्शाया (रिकार्डेड) अथवा नहीं दर्शाया (रिकार्डेड) जा सके।

यह प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फ्रेंचाइजी को उनकी गतिविधियों के लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है। जबकि एक्सेस की लागत फ्रेंचाइजी की लागत होती है तथा लाइसेंसधारी को इससे राजस्व मिलता है। दूसरी ओर कंपनी को देय कमीशन लाइसेंसधारी के व्यय में शामिल होता है। इसलिए लाइसेंसधारी के दावे के विपरीत, वास्तव में राजस्व की मद को लागत की मद के साथ जोड़ना नहीं था।

इससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 0.42 करोड़ एवं ₹ 0.12 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.08)

5.2.5 आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिय प्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों/डीलरों/फ्रैंचाइजियों को दी गयी छूट से राजस्व को घटा (नेटिंग आफ) देना

रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की वर्ष 2006-07 की लेखांकन नीति के अनुसार, 'राजस्व उस स्थिति में पहचाना जाता है, जब कंपनी के नेटवर्क का वास्तविक रूप में उपयोग कर सेवाए प्रदान की जाती है।' इस नीति को वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए संशोधित किया गया था। इस संशोधित नीति के अनुसार 'दूरसंचार सेवाओं से राजस्व कंपनी के नेटवर्क के वास्तविक यूसेज (प्रयोग) के आधार पर अनुबंध की बाध्यताओं के अनुसार पहचाना जायेगा तथा यह राजस्व कर एवं व्यापारिक छूट से शुद्ध दर्शाया जायेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 11.95 करोड़ (आरटीएल के संबंध में 10.69 करोड़ एवं रिलाइस इंटरनेट सर्विस लिमिटेड (आरआईएसएल) जिसका बाद में सितम्बर 2007 में आरटीएल के साथ विलय हो गया के संबंध में ₹ 1.26 करोड़) की कुल राशि वर्ष 2006-07 की प्रथम तिमाही के लिए प्रीपेड कार्डों एवं रिचार्ज वाउचरों की बिक्री के लिये वितरकों/व्यापारियों/फ्रैंचाइजियों को दी गई छूट को खर्च के तहत दर्शाया था। तथापि, इस छूट को कंपनी के वार्षिक लेखा में बिलिंग राजस्व एवं एजीआर विवरणी (वर्ष 2006-07 के लिए) में सकल राजस्व से भी हटा (नेटेड आफ) दिया गया था।

1 जुलाई, 2006 से आगे, प्रीपेड कार्ड एवं रिचार्ज वाउचर की बिक्री से प्राप्त राजस्व को वितरकों/व्यापारियों को दी गई छूट से हटाकर लेखा में शामिल किया गया तथा सकल कीमत को शामिल न करके केवल घटे हुये राजस्व को ही जीआर/एजीआर के लिये विचार किया गया।

आरटीएल/आरआईटीएल के आठ सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लिए संबंधित वर्ष 2006-07 के प्रथम तिमाही के एजीआर विवरणी में दर्शाए गए छूट की राशि तथा संबंधित प्रीपेड राजस्व (शुद्ध) के अनुपात के आधार पर लेखापरीक्षा के दौरान वर्ष 2006-07 (II से IV तिमाही के लिये), 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए छूट की मात्रा को प्रोजेक्ट किया गया है। वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए राजस्व से घटाए (नेटेड आफ) गये छूट की कुल राशि ₹ 392.99 करोड़ का आकलन किया गया।

चूंकि कंपनी द्वारा छूट की बुकिंग वर्ष 2006-07 के दूसरी तिमाही से बंद कर दी गयी थी, इसलिए ₹ 392.99 करोड़ की उपरोक्त राशि की गणना वर्ष 2006-07 के प्रथम तिमाही में दर्शाए गये छूट और प्रीपेड राजस्व (शुद्ध) के अनुपात को ध्यान में रखकर की गई।

राजस्व से छूट को हटाने (नेटिंग आफ) के विषय में लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि—

- प्रीपेड वाउचर से प्राप्त राजस्व छूट को हटाकर (नेट आफ) पहचाना जाना था। यह व्यवस्था प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के सिद्धांत पर आधारित होती है। वितरकों द्वारा सहमत मूल्यों पर ही वीजक जारी किए गये थे तथा इनको राजस्व में विचारित किया जाता था। सिर्फ वसूला गया राजस्व ही एजीआर में विचारित होना था।
- कालांतर में अनेक तरह के प्रीपेड उत्पाद जारी किए गए थे तथा इसी अनुपात को सभी वर्षों में लागू करना सही नहीं था।

पैरा 3.2.1 (ए) में दी गई लेखापरीक्षा व्याख्या के आलोक में, कंपनी प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा छूट की राशि पर प्रेक्षपण किया गया, क्योंकि कम्पनी ने वर्ष 2006-07 की दूसरी तिमाही से छूट की बुकिंग करना बंद कर दिया था तथा वास्तविक सकल राजस्व के आंकड़ों के विस्तृत को भी न तो दूरसंचार विभाग और न ही लेखापरीक्षा के सामने प्रकट किया था। इसलिए वर्ष 2006-07 की दूसरी से चौथी तिमाही एवं वर्ष 2007-08 से 2009-10 की छूट की राशि का प्रेक्षपण करने के लिए वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही से सम्बन्धित प्रीपेड (नेट) की रियायत के अनुपात को शामिल करने का लेखापरीक्षा को सहारा लेना पड़ा था।

यद्यपि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है लेखा परीक्षा का सोचना है कि प्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों/डीलरों को भुगतान किया गया कमीशन/छूट को घटाना (नेटिंग आफ) यूएस लाइसेंस अनुबंध के विरुद्ध था जिससे वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये आरटीएल का जीआर/एजीआर ₹ 392.99 करोड़ कम बताया गया जिससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 25.72 करोड़ तथा ₹ 14.04 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-5.09)।

5.2.6 आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये वितरकों को दिए गए फ्री ऑफ चार्ज (एफओसी) रिचार्ज वाउचर के मूल्य का शामिल न करना

2006-07 से 2009-10 के लिये आरटीएल की खाते की किताबों की छानबीन ने दर्शाया कि वितरकों को दिए जाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट रिचार्ज वाउचर पर भुगतान किए गए ₹ 12.12 करोड़ के सेवा कर को सर्विस टैक्स पेड-नॉट बिल्ड के रूप में व्यय के अन्तर्गत दर्शाया गया था।

2006-07 और 2007-08 के लिये वितरकों को दिए गए फ्री रिचार्ज कूपन से संबंधित भुगतान किए गए सेवा कर को दर्शानेवाली "चैनल एसोसिएटिव-एस ई इन्सेंटिव" के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 85,218/ तथा ₹ 11,09,799/ व्यय में बुक किये गये थे। यद्यपि सेवा कर का भुगतान किया गया था, फिर भी एफओसी वाउचर के सकल मूल्य को आरटीएल के जीआर में शामिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :-

- लाइसेंस फीस केवल पाने योग्य मूल्य के राजस्व पर देय होती है। अनुमानित आय पर लाइसेंस फीस देय नहीं होती है। वह आय जो लाइसेंसधारी को उपार्जित नहीं होती है, उस आय पर लाइसेंस फीस वसूली नहीं जा सकती है। उक्त मामलों में, कम्पनी को इन वाउचरों से किसी प्रकार के आय की प्राप्ति नहीं हुई है एवं कोई अंतर्वाह (इनफ्लो) नहीं हुआ। अतः इन वाउचरों से अनुमानित राजस्व को कम्पनी के राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- टीडीसैट ने भी दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को निर्णय दिया कि 'जीआर' को गिनने के लिये अन्तर्वाह की मद अनुमानित न होकर वास्तविक होनी चाहिए।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- कंपनी वितरकों को फ्री रिचार्ज कूपन देती है जिस पर सेवा कर का भुगतान करती है। यह वितरकों को देय छूट/कमीशन था। पैरा 3.2.1 (ए) में उद्धृत स्पष्टीकरण के आलोक में, वितरकों को दिया जानेवाला कमीशन जीआर/एजीआर के गणना में राजस्व से हटाना (नेटेड आफ) नहीं चाहिए।

वितरकों को दिए गए फ्री रिचार्ज कूपन उनके लिए नकदी के बराबर होते हैं क्योंकि ये कूपन उसमें उपलब्ध राशि (एयरटाईप) के आधार पर बेचे जा सकते हैं।

- दूरसंचार विभाग ने जुलाई, 2015 में प्रत्युत्तर में संदर्भित दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के टीडीसैट निर्णय को सर्वोच्च नयायालय में चुनौती दी है। इस प्रकार लेखा परीक्षा का यह सोचना है कि लाइसेंसधारी कमीशन के रूप में नकद राशि प्रदान न करके दूरसंचार सेवा के प्रयोग का लाभ दिया गया है जिसके लिये राजस्व को भुला दिया गया है। अतः यह अनुमानित राजस्व का मामला नहीं है।

भुगतान किए गए सेवा कर की राशि के आधार पर, एफओसी रिचार्ज वाउचरों की सकल कीमत ₹ 87.32 करोड़ निकाली गयी। इससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 5.70 करोड़ एवं ₹ 3.00 करोड़ का कम भुगतान प्रभावित रहा (अनुलग्नक-5.10)

5.3 खातों की किताबों की तुलना में राजस्व व एलएफ विवरणी (एजीआर विवरणी) में राजस्व कम दर्शाया जाना

5.3.1 आरसीएल एवं आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में फारेक्स गेन (लाभ) को नहीं दर्शाया जाना

आरसीएल/आरटीएल की खातों की किताबों में मुद्रा विनिमय लाभ/हानि से संबंधित लेन देन की बुकिंग के लिए प्रयुक्त लेखा शीर्षों के तहत शुद्ध योग को "वित्तीय प्रभार (शुद्ध)" की अनुसूची में विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव (लाभ)/हानि (शुद्ध) के रूप में समाहित किया गया था

2006-07 से 2009-10 तक के लिए फारेक्स लाभ लेखांकन के लिये प्रचालित सभी लेखा कोड के तिमाही जीएल शेषों से पता चला कि ₹ 1934.72 करोड़ (आरसीएल के लिए ₹ 1820.49 करोड़ एवं आरटीएल के लिए ₹ 114.23 करोड़) के कुल प्राप्त लाभ में से इन लाइसेंसधारकों ने उक्त लाभ में से केवल ₹ 600.86 (आरसीएल ₹ 590.56 करोड़ तथा आरटीएल ₹ 10.30 करोड़) को वर्ष 2007-08 के एलएफ के लिए जीआर/एजीआर में विचारित किया। इस प्रकार ₹ 1333.86 करोड़ (आरसीएल, ₹ 1229.94 करोड़ तथा आरटीएल ₹ 103.92 करोड़) की प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया था।

यहाँ यह बताना उपयुक्त होगा कि उक्त प्राप्त लाभ (गेन) वित्तीय प्रणाली (एसएपी) से निकाली रिपोर्ट से उद्धरित डाटा से अनुमानित (केलकुलेटेड) किये गये हैं जो विशेष मद के वास्तविक लाभ (गेन) को चित्रित नहीं करता है क्योंकि कम्पनी विदेशी विनियम लाभो (गेनस)/हानि शीर्ष के तहत सम्मिलित सभी मदों का मूल्य प्रत्येक वर्ष नये रूप में करती है, परिपक्व मदे प्राप्त लाभ के तहत व अपरिपक्व मदे अप्राप्त लाभ के तहत रहती है। इस प्रकार विशेष मद के प्राप्त लाभ उस वर्ष में मध्यवर्ती अवधि के दौरान उस मद का लाभ/हानि में आप्राप्ति के तहत लेखांकन के कारण वास्तविक लाभ नहीं होंगे लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के तहत दर्ज मद प्रत्येक मद की मूल कीमत की चाह में मद की वास्तविक कीमत पर नहीं पहुँच सका। आगे लेखा परीक्षा ने लेखों के अनुसार एलएसए के अनुसार त्रिमासिक शुद्ध लाभ पर विचार किया लेखा परीक्षा के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह उपलब्ध कराये गये डाटा से केवल लाभों के अंकों को अलग/संग्रहण कर सके ऑपरेटर को प्रत्येक मद के लाभ की गणना इसकी प्रारम्भिक कीमत के संदर्भ में करना चाहिये तथा कुल फारेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना चाहिये।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :

- टीडीसेट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय के अनुसार, उक्त मद को लाइसेंस फीस की गणना में शामिल नहीं किया गया।
- केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 10 जुलाई, 2012 में अपना निर्णय में कहा था कि गैर-दूरसंचार गतिविधियों से अर्जित राजस्व को लाइसेंस फीस की गणना के उद्देश्य के लिये शामिल नहीं करना चाहिए।
- एएस 9 विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को राजस्व के रूप में पहचान नहीं करता है। टीडीसेट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के अनुसार, उक्त लाभ पर लाइसेंस फीस की देयता नहीं बनती है।
- वर्ष 2008-09 के तीसरी तिमाही तक, कम्पनी गैर-दूरसंचार राजस्व पर भी लाइसेंस फीस का भुगतान कर रही थी तथा बाद में कम्पनी ने गैर-दूरसंचार राजस्व पर दिए लाइसेंस फीस की दूरसंचार विभाग से वापसी हेतु दावा किया। आप्राप्त लाभ अनुमानित है, तथा इस पर लाइसेंस फीस की देयता नहीं बनती है।

पैरा 3.2.5 में दिए गए लेखापरीक्षा स्पष्टीकरण के आलोक में कम्पनी प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है। आगे प्रबंधन के विशिष्ट उत्तर के संबंध में लेखा परीक्षा की सोच निम्न है :-

- टीडी सेट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है
- केरल उच्च न्यायालय का दिनांक 10 जुलाई 2012 का आदेश अन्तिम आदेश है लेखा परीक्षा की सोच है कि लाइसेंस अनुबंध बताता है कि सकल राजस्व अन्य दूसरी विविध आय संबंधित मदों के खर्चे इत्यादि के लिये किसी को घटाये बगैर (सेट-आफ) शामिल होंगे एवं फारेक्स गेन विविध आय का भाग था इसे राजस्व हिस्सेदारी की गणना बावत् राजस्व में समाहित होना चाहिए।
- उत्तर में संदर्भित टीडीसेट का दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2015 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेखा परीक्षा का विचार है कि जीआर में कम्पनी फारेक्स गेन पर विचार नहीं करना लाइसेंस की शर्तों का विचलन था।

विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ के गेर समावेशन के कारण ₹ 1333.86 करोड़ के राजस्व को कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹107.63 करोड़ एवं ₹ 26.93 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक-5.11)

5.3.2 आरसीएल/आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना में ब्याज/अन्य आय को सम्मिलित न किया जाना

जैसा कि पैरा 1.4 (क) में उल्लेखित है, व्यय से संबंधित मदों को छोड़े बिना (सेट आफ) सकल राजस्व में यहाँ बताये अन्य राजस्वों के साथ ब्याज, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होंगे। आरसीएल/आरटीएल के खातों की किताबों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 के

दौरान जीआर/एजीआर की गणना में ब्याज/अन्य आय को कुछ अंश तक सम्मिलित किया गया है। इसका विवरण नीचे दिया गया है।

(ए) आरसीएल/आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में ब्याज/लाभांश की आय का गैर-समावेशन।

आरसीएल के संबंध में, लेखों में दर्ज वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के लिये ब्याज/लाभांश की कुल आय रु 1328.41 करोड़ दर्ज की थी। इस राशि में से ₹ 98.88 करोड़ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में विचारित किया गया। इस प्रकार, रु 1229.52 करोड़ ब्याज/लाभांश की आय को जीआर/एजीआर में विचारित नहीं किया गया था।

उसी तरह से, आरटीएल के संबंध में, लेखों में वर्ष 2008-09 से 2009-10 के लिए ब्याज से प्राप्त समस्त आय दर्ज की गई थी तथा 2009-10 में निवेश से प्राप्त आय रु 139.52 करोड़ की राशि को आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में सम्मिलित नहीं किया।

आरटीएल की वर्ष 2008-09 के लिये निवेश की आय पर कुछ आय को व्यय के साथ नोटिंग के कारण अलग से पैराग्राफ 5.3.4 के अन्तर्गत टिप्पणी की गई है।

(बी) आरसीएल/आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में अन्य आय का गैर-समावेशन

वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के लिए आरसीएल के लेखों में ₹ 161.78 करोड़ की कुल अन्य आय दर्ज की गई थी। इस राशि में से ₹ 81.73 करोड़ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में विचार किया गया था। इस प्रकार जीआर/एजीआर में ₹ 80.05 करोड़ की अन्य आय पर विचार नहीं किया गया था।

उसी तरह से आरटीएल के संबंध में, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए कुल अन्य आय (प्रतिभूतियों/बंध पत्र विविध इत्यादि के बिक्री पर लाभ) ₹ 537.40 करोड़ दर्ज की गई। इस कुल अन्य आय में से ₹ 0.78 करोड़ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में विचार किया गया था तथा जीआर/एजीआर में ₹ 536.62 करोड़ (₹ 537.40-₹0.78) की अन्य आय को विचारित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि

- दिनांक पर राजस्व 30 अगस्त, 2007 के टीडीसैट निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारियों को दूरसंचार गतिविधि से प्राप्त राजस्व शेयर (हिस्सा) का भुगतान करना होता है। यह आय दूरसंचार गतिविधि से संबंधित नहीं है, तथा इस आय पर लाइसेंस फीस देय नहीं होती है।
- माननीय उच्च न्यायालय, केरल ने दिनांक 10 जुलाई, 2012 के अपने निर्णय में दूरसंचार विभाग के लाइसेंस फीस वसूलने के अधिकार को सीमित किया, इस अधिकार के तहत किसी गैर लाइसेंस दूरसंचार गतिविधियों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित करने की कोशिश को सीमित करता है।
- टीडीसैट के दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के निर्णय में विभिन्न गैर दूरसंचार राजस्व मदों को शामिल नहीं किया तथा ये मदें लाइसेंस अनुबंध में सकल राजस्व की परिभाषा में विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है। अतः उक्त आय पर लाइसेंस फीस की देयता नहीं बनती है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि—

- टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय में खारिज कर दिया।
- प्रत्युत्तर में संदर्भित दिनांक 10 जुलाई, 2012 का केरल उच्च न्यायालय का आदेश एक अंतरिम आदेश है।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2015 में दूरसंचार विभाग ने टीडीसैट के 23 अप्रैल, 2015 के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। लाइसेंस अनुबंध में ब्याज, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व को जीआर/एजीआर में शामिल करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

उपरोक्त उल्लेखित पैरा 5.3.2 (ए) एल 5.3.2 (बी) को ध्यान में रखते हुए, ब्याज, लाभांश एवं अन्य विविध आय के गैर समावेशन के कारण जीआर/एजीआर में ₹ 1985.72 करोड़ कम बताए गए। ब्याज एवं विविध आय को कम बताए जाने के कारण लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 153.44 करोड़ एवं ₹ 48.56 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.12)

5.3.3 आरसीएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी को ब्याज मुक्त ऋण के परिणामस्वरूप एलएफ/एसयूसी के भुगतान से बचना

आरसीएल के वार्षिक लेखों की नमूना जाँच से पता चला कि इसने अपनी सहायक कम्पनी केमपियन प्रावरटीस लिमिटेड (सीपीएल) एवं रिलाइंस टेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (आरटीएसपीएल) को ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण दिया था। लेखों की जाँच से पता चला कि इन सहायक कम्पनियों के विरुद्ध 2006–07, 2007–08 व 2008–09 के अन्त में ऋण राशि क्रमशः ₹ 36.78 करोड़ (सीपीएल) ₹ 3.63 करोड़ (आरटीएसपीएल) एवं ₹ 15.27 करोड़ (आरटीएसपीएल) थी। यह दोनों कम्पनियाँ इन विशेष वर्षों के दौरान आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियाँ नहीं थी दिया गया ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 372 ए के उल्लंघन में था तथा स्वामित्व एवं सहायक कम्पनियों के बीच रखे गये “आर्मस लेगथ” सम्बंध के समान नहीं था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि धारा 372 ए (8)(ए) (i), धारा 372 ए के प्रावधान कम्पनी द्वारा आधारभूत संरचना की सुविधा हेतु प्रदान किए गए ऋण पर लागू नहीं होते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता होने के कारण आरसीएल को धारा 372 ए के प्रावधान से छूट प्राप्त है। यह कम्पनियाँ आरसीएल की सहायक गतिविधियों बढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं। अतः आरसीएल के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने हित को ध्यान में रखकर सुगमतापूर्वक कार्य का संचालन करने के लिए मांग के अनुरूप पुनः भुगतान योग्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएँ। अतः यह आरसीएल के हित में हानिकारक नहीं था। अनुमानित आय पर लाइसेंस फीस देय नहीं होती है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरसीएल एक दूरसंचार सेवा प्रदाता है तथा इसकी स्थापना आधारभूत संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं की गई थी। अतः धारा 372 ए (8)(ए) (i) के अंतर्गत छूट इस पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार आरसीएल का जीआर/एजीआर प्राप्त ब्याज की राशि से कम था। जिससे एलएफ व एसयूसी का कम भुगतान हुआ। एसएफ व एसयूसी के कम भुगतान को निकाला

नहीं जा सका क्योंकि ऋण को जारी करने की तारीख व उक्त ब्याज मुक्त ऋण किस अवधि के लिये बकाया रहा उपलब्ध नहीं था।

5.3.4 आरटीएल द्वारा जीआर/ए जी आर की गणना के लिए निवेश की बिक्री पर शेष लाभ का गैर-समावेशन एवं निवेश की बिक्री हानि को घटाना (नेटिंग-आफ)

वर्ष 2008-09 के लिए आर टी एल के वित्तीय विवरणों के अनुसार गैर-व्यापारी निवेश से आय ₹ 108.92 करोड़ थी।

यद्यपि इस संबंध में कोई भी आय जीआर/एजीआर की गणना के लिये विचारित नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि

- टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय के अनुसार, विभिन्न राजस्व जो दूरसंचार गतिविधियों से संबंधित नहीं थे, उन्हें लाइसेंस फीस के प्रयोजन के लिए एजीआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- एजीआर में दूरसंचार सेवा गुणदोषों के प्रावधान के साथ प्रत्यक्ष अंतर्सम्बन्ध को ही केवल आय/लाभांश से प्राप्त आय में शामिल किया जाएगा। निवेशों की बिक्री पर लाभ को उधार ली गई राशि से प्राप्त किया गया तथा कंपनी इसी पर ब्याज का भुगतान कर रही है। अतः इसे एजीआर में सम्मिलित नहीं किया था।

पैरा 5.3.2 में दिए गए लेखापरीक्षा व्याख्या के आलोक में, प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है।

अतः ₹ 108.92 करोड़ के निवेशों की बिक्री पर लाभ के गैर समावेशन के कारण जीआर/एजीआर की राशि को कम बताया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 7.30 करोड़ एवं ₹ 3.94 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 5.13)

5.3.5 लाभांश के भुगतान के लिये अलग-अलग मानक –आरसीएल

जैसा कि पैरा 1.4 (अ) में उल्लेखित है सकल राजस्व में निवेश के साथ-साथ यहाँ बताये अन्य राजस्वों को भी शामिल किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि लाइसेंस अनुबंध का इरादा राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य के लिये निवेश (लाभांश) से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होगा। 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के वार्षिक लेखा का विश्लेषण दिखाता है कि अधीनस्थों तथा सहायक कम्पनियों में उनके इक्विटी शेयर तथा अधिमानी शेयर के स्वरूप में निवेशों को 2006-07 में ₹ 5434.42 करोड़ से 2009-10 में ₹ 31898.30 करोड़ की लगभग 5 गुणा वृद्धि हुई। (अनुलग्नक 5.14)

इन सहायक कम्पनियों एवं अधिनिस्यों में आरसीएल सबसे अधिक शेयरधारक था। यद्यपि आरसीएल को इस अवधि के दौरान इन निवेशों पर कोई लाभ, लाभांश तथा अन्य किसी स्वरूप में प्राप्त नहीं किया गया इस तथ्य के बावजूद वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 की अवधि के दौरान कर के पश्चात इन कंपनियों का कुल लाभ ₹ 708.61 करोड़ ₹ 668.65 करोड़ ₹ 1118.01 व ₹ 1499.98 करोड़ था। (अनुलग्नक 5.14)

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरसीएल ने स्वयं (आरसीएल) एवं अन्य गैर लाइसेंसी कम्पनियों जिसमें इसने निवेश किया था तथा अधिकांश शेयरधारक था के संबंध में लाभांश की घोषणा के लिये विभिन्न मानक ग्रहण किये थे। आरसीएल ने 2006-07 एवं 2009-10 के लिये अंकित मूल्य पर 10 से 17 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की थी जबकि सहायक कम्पनियों एवं अधिनस्थ जिसमें आरसीएल अधिकांश शेयरधारक था किसी लाभांश की घोषणा नहीं की थी। आरसीएल द्वारा भुगतान किया गया लाभांश आरसीएल के लिये व्यय था तथा लाइसेंस फीस व एसयूसी के लिये नहीं था इसके द्वारा इकाईयो/कम्पनियों से प्राप्त लाभांश उनका निवेश था जिस पर लाइसेंसी शर्तों के अनुसार एलएफ व एसयूसी लगेगा।

इस प्रकार आरसीएल की अधिनस्थ व सहायक कम्पनियों के बारे लाभांश की घोषणा न करने जिसमें इसने व्यय किया था आरसीएल की स्वयं की लाभांश को घोषित न करने की क्रियाविधि के अनुसार नहीं था जिससे आरसीएल का राजस्व कम बताया गया एवं एलएफ व एसयूसी का कम भुगतान हुआ।

5.4 राजस्व लाइसेंस फीस के लिये विचारित किया गया लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (एसयूसी) के लिये विचारित नहीं किया गया

5.4.1 एसयूसी की गणना के लिए बैडविड्थ की बिक्री/पट्टे से प्राप्त राजस्व को विचारित नहीं करना

यूएसएल अनुबंध बताता है कि यूएसएल अनुबंध के लिए निर्धारित राजस्व एवं लाइसेंस फीस (एजीआर विवरण) के विवरण के पत्र में "एजीआर की गणना करते समय राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित स्पेक्ट्रम चार्जस की उगाही को सीमित उद्देश्य हेतु, तार (बाईरलाईन) अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को लेखा में शामिल नहीं किया जाएगा"।

- मद 1(ए) "तार (बाईरलाईन) ग्राहकों से प्राप्त राजस्व" को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है तथा
- मद 8 "बैडविड्थ के बिक्री/पट्टे पर, कड़ी आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाए इत्यादि से प्राप्त राजस्व" को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए लाइसेंस फीस (एजीआर विवरण) तथा राजस्व के विवरण में, बैडविड्थ कड़ियों (लिंक) की बिक्री/पट्टे, आर एण्ड जी मामलों, टर्न-की परियोजनाएँ इत्यादि से राशि ₹ 1588.19 करोड़ के राजस्व को विवरण की मद क्र. 8 के अंतर्गत दर्शाया गया। तथापि इस राजस्व को एसयूसी के भुगतान में विचार न करके लाइसेंस फीस के भुगतान में विचार किया गया। ऐसा करना लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया था कि यूएसएल अनुबंध में एसयूसी/वार्षिक रायल्टी की उगाही सीमित उद्देश्य के लिये ही है तथा वायरलाईन अभिदाताओं से राजस्व को लेखा में शामिल नहीं किया गया अतः बैडविड्थ उपभोक्ताओं एवं लीजलाइन से प्राप्त राजस्व को स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना के लिए एजीआर में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त पर लेखा परीक्षा की सोच को पैरा 3.4.3 में लाया गया है।

इस प्रकार ₹ 1588.19 करोड़ का उपरोक्त राजस्व स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना में विचारित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को ₹ 40.66 करोड़ एसयूसी का कम भुगतान हुआ।
(अनुलग्नक 5.15)

5.4.2 एसयूसी की गणना के लिये निवेश से प्राप्त आय पर विचार नहीं करना

आरसीएल द्वारा पेश किए गए एजीआर विवरणों के अनुसार, वर्ष 2006-07 की चार तिमाहियों के लिए निवेश (विवरण की मद 4) से आय ₹ 70.60 करोड़ थी। तथापि, केवल चौथी तिमाही के लिए ₹ 17.83 करोड़ की धनराशि स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (सीडीएमए) की गणना करने के लिए एजीआर में शामिल किया गया है तथा बाकी तीन तिमाहियों की राशि ₹ 52.77 करोड़ को एसयूसी के लिए एजीआर में शामिल नहीं किया गया था।

बाद के वर्षों में अर्थात् 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में, निवेश से प्राप्त आय यदि लाइसेंस फीस के लिए विचारित की गई है तो कम्पनी द्वारा इसे एसयूसी में भी विचारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया कि स्पेक्ट्रम फीस केवल बेतार (वायरलेस) ग्राहकों से अर्जित राजस्व पर देय होगी। चूंकि निवेश से प्राप्त आय बेतार (वायरलेस) राजस्व नहीं है, इसलिए एसयूसी के लिए इसको एजीआर में शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह भी कहा गया था कि चौथी तिमाही में निवेश से प्राप्त आय पर भुगतान किए गए एसयूसी पर दूरसंचार विभाग (डाट) से धन वापसी का दावा किया गया है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एसयूसी के प्रयोजन के लिए, एजीआर विवरण के मद 1 ए में दर्शाए गए केवल वायरलाइन ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को हटाया जाना था। निवेश से प्राप्त आय को एजीआर विवरणों के मद 4 में शामिल होना था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ₹ 52.77 करोड़ की निवेश से प्राप्त आय को एसयूसी के भुगतान में शामिल किया जाना चाहिए था।

एसयूसी के कम भुगतान का प्रभाव (इम्पैक्ट) ₹ 0.94 करोड़ है। (अनुलग्नक 5.16)

5.5 आरसीएल/आरटीएल द्वारा अपनी सहायक कम्पनी रिलाइंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) को अवसंरचना परिसम्पतियों का हस्तांतरण

5.5.1 आरसीएल द्वारा अपनी आरआईटीएल को ऑप्टिक फाइबर अंडरटेकिंग (ओएफयू) का हस्तांतरण

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) ने अपनी ऑप्टिक फाइबर अंडरटेकिंग (ओएफयू) से संबंधित परिसंपत्ति एवं देनदारियों को दूरसंचार अवसंरचना सेवाएँ प्रदान करने में लगी इसकी सहायक कम्पनी आरआईटीएल को हस्तांतरित किया था। यह हस्तांतरण ऑप्टिक फाइबर अंडरटेकिंग के हस्तांतरण के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 391 से 394 के तहत स्कीम आफ अरेंजमेंट के आधार पर किया गया। दिनांक 18 जुलाई, 2009 को माननीय उच्च न्यायालय, बम्बई ने निर्धारित (अपॉइन्टिड) तिथि 01 अप्रैल 2008 से इस स्कीम को अनुमोदित किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को आरसीएल के ओएफसी नेटवर्क की कुल कीमत हस्तांतरण के कारण देय मुआवजे (कंसीडरेशन) के रूप में ₹ 7206.42 करोड़ मानी गई।

इस हस्तांतरण के कारण ₹ 3063.27 करोड़ के लाभ को ₹ 7206.42 करोड़ के कंसीडरेशन राशि में से ₹ 4137.95 करोड़ के नेट ब्लाक एवं ₹ 5.20 करोड़ के पुंजीगत कार्य प्रगति में से घटाकर लाभ व हानि खातों में जमा किया गया।

यह देखा गया कि कम्पनी ने उपरोक्त लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया।

जीआर/एजीआर में सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लाभ को समावेश न करने के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछने पर प्रबन्धन ने बताया कि:

- कम्पनी टी डी सेट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार लाइसेंस फीस का भुगतान कर रही थी।
- केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10 जुलाई 2012 के निर्णय में बताया कि एल एफ की गणना के उद्देश्य के लिये ए जी आर में गैर दूरसंचार राजस्व को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये कम्पनी ने ओ एफ यू अन्डरटेकिंग जो कि टेलिकम गतिविधियों से संबंधित नहीं थी को स्थान्तरण के कारण आने वाले लाभ को छोड़ दिया था।
- लेन-देन बिक्री के नहीं थे बल्कि स्थान्तरण के थे जिससे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला इसलिये विचारिक लाभ सम्मिलित नहीं किया।
- लेन-देन आय थी ना कि राजस्व। यह साफ है कि राजस्व के संकेत जो कि उद्यम की समान्य गतिविधि से प्राप्त होता है ए एस-9 द्वारा समर्थित नहीं है।
- टी डी सेट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के अनुसार बतायी गयी आय पर लाइसेंस फीस की देन दारी नहीं बनती है।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि :

- टी डी सेट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
- केरल उच्च न्यायालय का दिनांक 19 जुलाई 2012 का आदेश अन्तरिम आदेश था।
- आर सी एल व आर आई टी एल कानूनी रूप से दो अलग इकाईयाँ थी। अतः आर सी एल से आर आई टी एल को सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्पत्ति का निराकरण है एवं कम्पनी ने स्वयं लाभ एवं हानि खाते में अपनी सम्पत्ति की निराकरण से लाभ को पहचाना/माना था।
- आर सी एल द्वारा आर आई टी एल को ओ एफ यू के हस्तान्तरण पर आय यद्यपि ए एस-9 के अर्न्तगत राजस्व जैसा समर्थित नहीं है इसे लाइसेंस अनुबंध के अनुसार एल एफ व एस यू सी की गणना के लिये जीआर/एजीआर में सम्मिलित होना चाहिये।
- आगे, यह पता है कि टी डी सेट को दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2015 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। लेखा परीक्षा की सोच है कि ओ एफ सी नेटवर्क के हस्तारण के कारण लाभ (गेन) विविध राजस्व का भाग था एवं इसे लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर में सम्मिलित होना था।

अतः लाइसेंस अनुबंध के परिपेक्ष्य में लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट ₹ 3063.27 करोड़ के लाभ को भी जीआर/एजीआर में लेना चाहिये। इससे एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 279.27 करोड़ व ₹ 81.37 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा (अनुलग्नक 5.17)।

5.5.2 आरसीएल/आरटीएल द्वारा पॉसिव अवसंरचना को इसकी सहायक कम्पनी (आरआईटीएल) को निरंक कीमत पर हस्तान्तरित करना

रिलाइंस इन्फ्राटेल लिमिटेड (आर आई टी एल), रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी (रिलाइंस कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) (आर सी आई एल) शुरू से आखिरी तक) प्राइवेट कम्पनी के रूप में 2001 में निगमित हुई थी। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आर-काम) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में 5 दिसम्बर 2006 जिससे उसने आर-काम के स्वामित्व वाली वायरलेस टावर सम्पत्ति एवं इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी रिलाइंस टेलीकम लिमिटेड (आर टी एल) अलग करने की स्कीम आफ अरेजमेंट⁵ दायर की। उच्च न्यायालय बम्बई ने दिनांक 16 मार्च, 2007 को अपने निर्णय में इस योजना (स्कीम आफ अरेजमेंट) को दिनांक 10 अप्रैल, 2007 से लागू करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। योजना के अनुसार, आर सी एल व आर टी एल की क्रमशः ₹ 3200.74 करोड़ व ₹ 866.80 करोड़ के दर्ज मूल्य वाली पॉसिव अवसंरचना परिसम्पत्तियों को आरआईटीएल को निरंक कीमत पर हस्तांतरित किया गया। आर सी एल व आर टी एल से स्थान्तरित सम्पत्ति की कीमत आर आई टी एल ने उचित मूल्य पर क्रमशः ₹ 3327.46 करोड़ एवं ₹ 1188.36 करोड़ अभिलिखित⁶ की थी।

आर सी एल, आर टी एल एवं आर आई टी एल अलग इकाईयों हो गयी थी एवं आर आई टी एल आर सी एल/आर टी एल⁷ की पूर्ण सहायक कम्पनी नहीं रही थी। सम्पत्तियों का हस्तान्तरण आर्मस लेंथ लेन-देन नहीं था। आर सी एल एवं आर टी एल द्वारा स्थान्तरित सम्पत्ति की बाजार कीमत क्रमशः ₹ 3327.46 करोड़ एवं ₹ 1188.36 करोड़ थी जैसा कि आर आई टी एल द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया था आर टी आई एल द्वारा लेखित कीमत एवं दर्ज कीमत के बीच अन्तर पूर्व निश्चित सम्पत्ति के स्थान्तरण पर लाभ था। आर सी एल एवं आर टी एल द्वारा पूर्व निश्चित सम्पत्ति के स्थान्तरण पर लाभ क्रमशः ₹ 126.72 करोड़ एवं ₹ 321.56 करोड़ थे। लाइसेंस अनुबंध के परिपेक्ष्य में, इन सम्पत्ति के स्थान्तरण पर लाभ एल एफ व एस यू सी की गणना के लिये विचारित होना चाहियें।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर प्रबंधन ने उत्तर दिया था कि:

- बताये गये लेन-देन एवं उचित मूल्यांकन स्कीम आफ अरेजमेंट के अनुसार थे जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था एवं यहाँ पर सम्पत्तियों/देयताओं की वास्तविक खरीद एवं बिक्री नहीं की गई।
- आगे टी डी सेट के 23 अप्रैल 2015 को सुनाये गये निर्णय अलग किन्तु संबंधित सदर्थ में बताता है कि "सकल राजस्व की गणना के लिये मद का अन्तर्वाह काल्पनिक नहीं किन्तु वास्तविक होगा" परिणाम स्वरूप यह अनुचित होगा कि लाइसेंस अनुबंध के अर्न्तगत जीआर को निकालने में इस प्रकार की काल्पनिक आय पर विचार किया जाये।
- आर आई टी एल ने अपनी लेखों की किताबों में सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया था। सम्पत्तियों के किसी पुनर्मूल्यांकन के कारण सम्पत्ति की कीमत में बढ़ोत्तरी राजस्व विचारित नहीं होगी। यदि यह पुनर्मूल्यांकन को आय माना जाता है तो यह आर आई टी एल में लेखित होगा ताकि आर टी एल में।

5 कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत आर सी एल एवं आर टी एल की पॉसिव अवसंरचना का स्थान्तरण आर आई टी एल को हुआ।

6 वर्ष 2007-08 के लिये उनकी लेखों की किताबों में

7 आर सी एल के पास 31 मार्च 2008 को आर आई टी एल के केवल 79.71 प्रतिशत शेयर थे।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- आर सी एल, आर टी एल और आर आई टी एल अलग इकाईयाँ थी और आर आई टी एल आर सी एल/आर टी एल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कम्पनी नहीं थी। हस्तांतरित परिसम्पत्तियों को आर सी एल/आर टी एल की लेखाओं से राईट आफ करके उनके लाभ-हानि विवरणी में डेबिट कर दिया गया था। इस प्रकार यह लेन-देन परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान के समान था।
- हस्तांतरित परिसम्पत्तियों के पुनः मूल्यांकन पर लाभ अनुमानित लाभ नहीं था क्योंकि यह एक इकाई से दूसरी इकाई को परिसम्पत्तियों के निपटारे के कारण उपार्जित हुआ लाभ था। आगे यह ध्यान में आया कि टी डी सेट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को दूरसंचार विभाग द्वारा जुलाई 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। लेखा परीक्षा का मानना है कि आर सी एल/आर टी एल से आर आई टी एल को वास्तविक मूल्य के अलावा अन्य मूल्य पर परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण आर्मस लेगथ" लेन-देन नहीं था।
- क्योंकि परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य पर आर्मस लेगथ लेन-देन जैसा निपटान नहीं किया गया है, किसी पुनः मूल्यांकन के कारण परिसम्पत्तियों की मूल्य वृद्धि का लाभ हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी (आर सी एल/आर टी एल) द्वारा हस्तांतरित कम्पनी (आर आई टी एल) पर लाभ छोड़ने के समान है।

इस प्रकार वर्ष 2007-08 के दौरान आर सी एल द्वारा 126.72 करोड़ की राशि को जीआर/एजीआर में विचार नहीं करने के कारण एल एफ और एस यु सी का क्रमशः ₹ 11.56 और ₹ 3.44 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.18)

इसी प्रकार वर्ष 2007-08 के दौरान आर टी एल द्वारा 321.56 करोड़ की राशि को जीआर/एजीआर में विचार न करने के कारण एल एफ और एस यु सी का क्रमशः ₹ 17.62 करोड़ और ₹ 11.72 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.19)

5.6 वर्ष 2009-10 के दौरान सेवाकर वापसी को जीआर के लिए विचार नहीं किया जाना।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 के दौरान सेवाकर वापसी की राशि ₹ 51.45 करोड़ को परिचालन व्यय के अंतर्गत लेखाओं में लिया गया था। तब भी उपरोक्त राशि को एल एफ और एस यु सी के उद्देश्य हेतु जी आर गणना में विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी ने विशेष सेवायें प्रदान की थी, जो सेवाओं के निर्यात संवर्ग की थी और उन सेवाओं पर जमा क्रेडिट से सेवाकर का भुगतान किया गया। उस सेवाकर को सेवाकर विभाग से छूट (रिवेट) के रूप में दावा किया गया, और दावे की प्राप्ति पर उस छूट को वार्षिक लेखाओं में विविध आय के रूप में दर्शाया गया। यह वापसी सेवाओं के निर्यात पर एक प्रोत्साहन राशि है और इसलिये यह एल एफ की देनदारी के लिए नहीं था प्रबंधन ने आगे यह भी बताया कि भुगतान किये गये सेवाकर का दावा ए जी आर में छूट के रूप में नहीं किया गया और इसलिये इस पर कोई छूट (रियायत)/प्रोत्साहन/वापसी को एल एफ देनदारी के लिए नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर सी एल एक दूरसंचार कम्पनी है और अपने दूरसंचार व्यापार गतिविधियों

से संबंधित उपार्जित सभी आय को इसके राजस्व का हिस्सा मानना चाहिये। लेखापरीक्षा का मत है कि निर्यात क्रेडिट के किसी मुद्रीकरण अथवा कोई अन्य प्रोत्साहन से प्राप्त राशि कंपनी की विविध आय का हिस्सा है और लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसे एल एफ और एस यू सी की गणना हेतु जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त राशि को राजस्व में शामिल न करने से एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.69 करोड़ और ₹ 1.36 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.20)। यह बताना आवश्यक है कि यह रिलाइंस में नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आया और इसलिये इस पर टिप्पणी की गई है।

5.7 एलएफ और एसयूसी के कम/भुगतान नही करने पर ब्याज

उपरोक्त उठाये गये मुद्दों (पैरा 5.2 से 5.5) पर एल एफ और एस यू सी के कम/भुगतान नही करने की राशि क्रमशः ₹ 1125.40 करोड़ और ₹ 381.85 करोड़ बनती है। उपरोक्त कम/भुगतान नहीं की एलएफ व एसयूसी की राशि पर ब्याज ₹ 2221.29 करोड़ है (अनुलग्नक 5.21) ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी अर्थात् वित्तीय वर्ष के आरम्भ से स्टेट बैंक आफ इंडिया की मौजूदा कुल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक एवं गणना हेतु विचार की गई अवधि सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। ब्याज की गणना लाइसेंस शर्तों में निर्धारित मासिक कम्पाउण्ड (चक्रवृद्धि) दर पर की गई है।

5.8 उपरोक्त उठाये गये विषयों पर दूरसंचार विभाग का उत्तर

आर सी एल/आर टी एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा अवलोकन दूरसंचार विभाग को सितम्बर 2015 में भेज दिया गया था। दू वि ने (जनवरी 2016) में उत्तर दया कि 2009 में विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिये निम्नलिखित पैरे अर्थात् आर सी एल द्वारा आर सी आई एल को दिया गया कमीशन/छूट (पैरा 5.2.2 ए), आर सी एल के वी ए एस/सी आर बी टी राजस्व जीआर/एजीआर में शामिल नही किया जाना (पैरा 5.2.2 बी और 5.2.2 सी), आर सी एल का एफ डब्ल्यू पी/टी को लगाने के प्रभार को जीआर/एजीआर में शामिल ना करना (5.2.2 एफ), आर टी ए द्वारा वितरकों को दिया गया कमीशन/छूट (5.2.5), आर टी एल द्वारा वितरकों को दिये गये लागत मुफ्त कुपन (5.2.6), विदेशी मुद्रा लाभ से आय/राजस्व को जीआर/एजीआर में शामिल नही करने से राजस्व को कम दिखाना (5.3.1), ब्याज और अन्य आय (5.3.2), निवेश की बिक्री से लाभ (5.3.4) और पॉसिव संरचना के हस्तारंतरण से लाभ (5.5.2) के संदर्भ में कम्पनी को 2012 में पी एस पी द्वारा एजीआर कम दिखाने के लिये मांग पत्र जारी किये गये थे। परन्तु उपरोक्त मांगों को परिचालक ने टी डी सेट/माननीय उच्च न्यायालयों में चुनौती दी है। मामले अभी तक न्यायालय में हैं। यह भी बताया गया कि जैसे ही न्यायालय का अन्तिम निर्णय आता है कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों पर दू वि ने अपनी सहमति दी। यद्यपि मामला न्यायालय में होने के कारण आर सी एल/आर टी एल ने राजस्व वसुली में अपना असहाय होना भी स्पष्ट किया। यह ध्यान में रखते हुए कि मुकदमों के कारण सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा रूका हुआ है, इसलिये दू वि को इन कानूनी मुद्दों के निपटारे में अतिशीघ्र सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिये।

दू वि ने आपने उत्तर में सी ए जी लेखापरीक्षा द्वारा निकाली राशि और विशेष लेखापरीक्षा के कारण दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मागों में अंतर को भी उल्लेखित किया है। यह अन्तर कम राजस्व दर्शाने की गणना के लिये अपनाये गये तरीकों के अन्तर के कारण हो सकता है। लेखापरीक्षा ने कम दर्शायी राशि की गणना 2006-07 से 2009-10 तक आर सी एल/आर टी एल की लेखाओं में स्पष्ट विवरण के माध्यम से की गई वास्तविक प्रविष्टियों के आधार पर की है। यद्यपि विशेष लेखापरीक्षक के वर्किंग पेपरों के व्यौरे को सी ए जी लेखापरीक्षा ने नहीं देखा।

जहाँ तक सिम कार्डों की बिक्री को राजस्व में शामिल नहीं किया जाना (पैरा 5.2.2 डी), हैण्डसेटों की बिक्री (5.2.2 ई) ब्राडबैंड कमीशन को राजस्व से घटाये जाने के कारण जीआर को कम दर्शाया जाना (5.2.3) और आप्टिकल फाइबर के हस्तान्तरण से लाभ को ना शामिल करने संबंधी पैरो के बारे में, दूरसंचार विभाग ने बताया की निजी सेवा प्रदाता से मिले उत्तर संवीक्षा अधीन है।

मुफ्त एअर टाइम/कमीशन के नेट राजस्व (मध्य में ही निकालने के बाद) की बुकिंग सम्बन्धी पैरा (5.2.1)के उत्तर में बताया गया कि दू वि ने कम्पनी को लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार लेखाओं को तैयार करने के लिये नोटिस भेजा है (जून 2015) एवं व्यय को राजस्व से घटाने सम्बन्धी पैरा (5.2.4) के संदर्भ में बताया गया कि दू वि ने आर सी एल को यू ए एस एल अनुबंध के खण्ड 22.3 के अर्न्तगत आवश्यक घटाये गये मदों को सकल रूप में सूचना देने के लिये कारण बताओं नाटिस जारी किया गया है।

सहयोगी कम्पनी को ब्याज मुक्त लोने देने से सम्बन्धित पैरा (5.3.3) के संदर्भ में बताया गया कि दू वि ने विधि मंत्रालय और माननीय महालेखाकार से परामर्श के बाद 2005 में निर्णय लिया था कि अनुमानित ब्याज को एजीआर में न तो शामिल किया जायेगा और न ही माना जायेगा।

इस पर लेखापरीक्षा का मत है कि दू वि के एजीआर हेतु सहयोगी कम्पनी को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण पर देय ब्याज को ना मानने का निर्णय कम्पनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। आंशिक स्वामित्व वाली सहयोगी कम्पनी को ब्याज मुक्त ऋण देकर, आर सी एल का राजस्व प्राप्त होने योग्य ब्याज के अनुपात में कम हो गया और परिणामस्वरूप उसी अनुपात में भारत सरकार को उस पर एल एफ और एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

एस यू सी हेतु बैडविथ की बिक्री से प्राप्त राजस्व को ना शामिल करने से सम्बन्धित पैरा (5.4.1) और एस यू सी हेतु निवेश से आय को शामिल नहीं करने से सम्बन्धित पैरा (5.4.2) के संदर्भ में बताया गया कि दू वि की डब्ल्यू पी एफ विंग से उत्तर प्रतीक्षित था।

दू वि ने यह भी बताया कि निजी सेवा प्रदाता ने 2002-03 में जीआर और एजीआर की मौलिक परिभाषा को चुनौती दी थी। उसके बाद इस पर दीर्घकालिक मुकदमा हुआ जो आज तक चल रहा है। यह भी बताया गया कि कुछ लाईसेन्सी ने विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों में संविधान के आर्टिकल 226 के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुभाग-4 को भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (जी) के विरुद्ध मानते हुए याचिकायें (2012) दायर की है। इसकी वजह से सी सी ए कार्यालयों द्वारा कटौतियों का सत्यापन और दू वि मुख्यालय द्वारा एल एफ के आकलन का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। दू वि ने माना कि अनेक विवादों के कारण परिचालक से देय राजस्व शेयर के आकलन में विलम्ब हो रहा है।

दू वि के उत्तर से स्पष्ट होता है कि यद्यपि एन टी पी-1999 के भाग के रूप राजस्व हिस्सेदारी पद्धति की शुरुआत कर दी गई थी, फिर भी विभाग इसके लागू होने के 16 वर्षों के बाद भी लाइसेंस अनुबंध में वर्णित देय राजस्व साझेदारी/हिस्सेदारी को वसूलने में नाकाम रहा।

यह वर्णन करना आवश्यक है कि जब सरकार ने अप्रैल 2014 से सभी प्रचालकों की लाइसेंस फीस को 2 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया, तब दू वि को उम्मीद थी कि इस कटौती के कारण प्रचालक द्वारा सरकार के विरुद्ध कानूनी चुनौतियों को वापिस लेंगे। तथापि लाइसेंस फीस कटौती का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ और परिचालकों द्वारा जीआर/एजीआर की परिभाषा को चुनौती देना और मॉग पत्रों एवं सरकार के विरुद्ध याचिकायें दायर करते रहने का सिलसिला जारी रहा। इस प्रकार निजी सेवा प्रदाताओं ने लाइसेंस फीस कटौती का लाभ लिया परन्तु सरकार को मुकदमें कम होने का वांछित लाभ नहीं मिला।